

प्रेपक,  
अंगीत प्रकाश,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समृद्धाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

लिखनांक: दिनांक: २३ जितम्बर, 2005

विषय:- सेट मेरीज स्कूल संभल, मुरादाबाद को सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,  
उर्ध्वपत्र विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिवर्यों के अधीन  
अनुपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोमायदी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय के प्रधाय समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नायित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०५०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैतिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की भाग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैतिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल कार दि इण्डियन स्कूल सटीकोंके इकजामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०५०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान खत: समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के श्रीविक एवं शिक्षाप्रोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की रोबा शर्ते बनायी जाएंगी और उन्हे नायकता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कर्मचारियों को अनुमति देवा निर्दिष्ट का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश नियंत्रित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
- (8) विद्यालय का टिकाऊ नियंत्रित प्रपत्र विजिकों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त 2- उक्त प्रतिवर्यों का पालन करना संस्था के लिए अनियाम होगा और यदि किसी समय यह पालन करना जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्यों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

महोदय,  
(अंगीत प्रकाश)  
उप सचिव।

पु०स०-वीआईपी 1351/15-7-2005 द्वारा दिया

- प्रतिवर्यों की प्रतिवर्यों को सुरक्षात् एवं आवश्यक कार्यों के लिए वितरित किया जायेगा।
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 2- मण्डलीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
  - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
  - 4- निरीक्षक, अस्त्र भारतीय विद्यालय उ०५०, लखनऊ।
  - 5- प्रबंधक, सेट मेरीज स्कूल संभल, मुरादाबाद।
  - 6- गार्ड शुल्क।

आज्ञा से,  
(अंगीत प्रकाश)  
उप सचिव।